संख्या- /1550/24-पी-2-18-सा(144)/17

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
(1) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2018

विषय- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को, कानपुर तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 व उ0प्र0 जल विद्युत वितरण निगम लि0 के पैंशनरों को दिनांक 01-01-2016 के पूर्व लागू वेतना संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पैंशन का पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 937-पैं0एवंआर0-28/पाकालि/2018-18-60-पी/1998 (टीसी-1) दिनांक 01 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे पैंशनर्स जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुये तथा विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के कारण निलम्बन के फलस्वरूप जिन्हें अनन्तिम पैंशन स्वीकृत की गयी तथा ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति पर जिन्हें अनन्तिम पैंशन स्वीकृत की गयी, से संबंधित ऐसे सभी प्रकरणों में अनन्तिम पैंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-177/दस-2008, दिनांक 20.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

.....2

संख्या- /1550(1)/24-पी-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा / पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / केस्को, कानपुर।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव